श्री महामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर न्यास के विकास व प्रबंध से संबंधित विषयों हेतु आयोजित दिनांक 09 अक्टूबर 2026 बैठक की कार्यवाही

मंदिर न्यास के विकास व प्रबंध से संबंधित विषयों हेतु आयोजित दिनांक 09 अक्टूबर 2026 को बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती प्रियंका वर्मा, आई.ए.एस., आयुक्त मंदिर-एवं –उपायुक्त , सिरमौर (हि.प्र.) द्वारा की गई जिसमे श्री अजय सोलंकी , माननीय विधायक नाहन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे बैठक का शुभारंभ करते हुए उप-मंडल अधिकारी (ना०) नाहन एवं संयुक्त आयुक्त द्वारा माननीय विधायक नाहन श्री अजय सोलंकी, समस्त विभागीय अधिकारियों एवं गैर-सरकारी न्यासियों का स्वागत किया गया। इसके उपरांत आश्विन नवरात्रि मेला - 2026 (11 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2026) के सफल संचालन तथा न्यास के विभिन्न विकासात्मक एवं प्रशासनिक विषयों पर बिंदुवार विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:-

मद विवरण	**मद पर चर्चा व निर्णय**	**अनुपालन अधिकारी**
मद संख्या 1 - पूर्व बैठक 08-09-2026 को आयोजित बैठक का अनुपालन :	**पूर्व बैठक अनुपालन:** संयुक्त आयुक्त (मंदिर न्यास)-सह-उप-मण्डलाधिकारी (ना०) नाहन द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 08-09-2026 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण के समस्त मदों के निर्णयों का पूर्ण रूप से अनुपालन कर लिया गया है तथा आश्विन नवरात्रि मेला - 2026 के प्रारंभ होने से पूर्व सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक पत्र व दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। **चैत्र मेला 2027 पार्किंग व्यवस्था:** उक्त विषय पर विस्तृत चर्चा की गई , चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी चैत्र मेला 2027 में पार्किंग क्षेत्र में न्यास द्वारा सी.सी.टी.वी. , स्वच्छता/सफाई व्यवस्था तथा पीने के पानी की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसके अतिरिक्त पार्किंग हेतु स्थानीय निवासियों की भूमि न्यास द्वारा स्वयं किराए पर ली जाए न कि ठेकेदार द्वारा । पुलिस अधीक्षक सिरमौर के पत्र दिनांक 07-10-2026 द्वारा मांग अनुसार 100 निजी सुरक्षा कर्मचारी न्यास द्वारा अनुमोदित दरों पर 15 दिन के लिए अस्थाई आधार पर रखने हेतु अनुमोदन दिया गया 1	मुख्य मेला अधिकारी एवं उप –मंडल अधिकारी (ना०) नाहन तथा मेला अधिकारी एवं तहसीलदार नाहन

SDM Nahan-Cum-
Joint Commissioner
Trilokpur Temple Trust

Scanned with OKEN Scanner

मद संख्या 2 - वंशानुगत भगत परिवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर चर्चा :	मंदिर अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार मंदिर त्रिलोकपुर मे दीर्घकाल से स्थापित परंपरा बारे व मंदिर अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर श्री रितेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर में कोई भी नई "परंपरा" शुरू नहीं की जाएगी। स्थापित परंपरा अनुसार भगत परिवार से केवल एक ही व्यक्ति पूजा हेतु गर्भगृह में प्रवेश करता है। गर्भगृह की सफाई, पूजा व आरती की तैयारी में सहायता हेतु न्यास द्वारा सेवादार (कहार/हेल्पर) उपलब्ध करवाया जाता है अतः यही परंपरा भविष्य में भी जारी रहेगी। मेहता परिवार द्वारा पूजा का विषय भी उठाया गया। न्यास द्वारा निर्णय लिया गया कि मंदिर अधिकारी इस विषय में बैठक/जाँच करके आगामी बैठक में रिपोर्ट न्यास के विचारार्थ प्रस्तुत करे।	मेला अधिकारी एवं तहसीलदार नाहन
मद संख्या 3 - न्यास में रिक्त पदों को भरने बारे :	संयुक्त आयुक्त मंदिर द्वारा अवगत करवाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या TTT/Estt./2026 -7795 26-08-2026 को **Employees Service Bye Laws 2026 and other matters** मुख्य आयुक्त मंदिर एवं सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग शिमला हिमाचल प्रदेश के अनुमोदन हेतु अतिरिक्त मुख्य आयुक्त एवं निदेशक भाषा, एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से भेजा गया था जिसका अनुमोदन पत्र संख्याLCD-B(15) -9/2025 द्वारा दिनांक 17-09-2026 को प्राप्त हो गया है तथा आयुक्त मंदिर के द्वारा पत्र संख्या TTT/Estt./2026 -2320 दिनांक 29-09-2026 को अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया गया है। उक्त नियमों मे कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों नए पदों के सृजन सहित सहित अन्य मामलों बारे सशर्त अनुमोदन दिया गया है कि किसी भी स्थिति मे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी व न्यास अपने निजी स्त्रोत से ही अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। संयुक्त आयुक्त मंदिर द्वारा समस्त न्यासियों के संज्ञान हेतु अवगत करवाया गयाकि उपरोक्त अनुमोदन उपरांत न्यास के अधीनस्थ विभिन पदों की स्थिति निम्नानुसार रहेगी :-	संयुक्त आयुक्त मंदिर एवं एस-डी-एम नाहन

SDM Nahan-Cum-
Joint Commissioner
Trilokpur Temple Trust

Scanned with OKEN Scanner

Present status of employees under the Temple Trust Trilokpur					
Sr. Nos.	**Name of Post**	**No. of sanctioned Post including new created**	**No. of post filled up**	**No. of post vacant**	**Mode of recruitment**
1	Temple Officer	1	-	1	Govt
2	Assistant Controller (HPFAS)	1	1	-	Govt
3	Superintendent Gr-II	1	1	-	Promotion
4	Sr. Assistant	2	1	1	Promotion
5	Clerk	6	5	1	Promotion
6	JOA(IT)	2	-	2	Direct
7	Head Pujari	1	-	1	Promotion
8	Senior Pujari	2	1	1	Promotion
9	Pujari	7	2	5	Direct
10	Driver	2	2	-	Direct
11	Plumber(MPW)	1	1	-	Direct
12	Electrician	1	1	-	Direct
13	Kahar cum Flera	2	2	-	Direct
14	MPW(c howkidar/ Peon/Beldar /Mali/Safai Sevadar etc.)	32	30	2	Direct
15	Sweeper (MPW)	7	5	2	Direct
16	Junior Engineer (Civil)	1	-	1	Direct
17	Assistant Engineer (Civil)	1	1	-	Direct
18	Welder	1	1	-	Direct
19	Cook	14	14	-	Direct
20	Mason	1	1	-	Dying Cadre
21	Assistant Manager (Temple)	1	1	-	Dying Cadre
22	Assistant Manager (Accounts)	1	1	-	Dying Cadre
23	Surveyor cum Superveyor Civil	1	1	-	Dying Cadre
24	Supervisor (Museum)	1	1	-	Dying Cadre
	Total Posts	90	73	17	

SDM Nahan-Cum-
Joint Commissioner
Trilokpur Temple Trust

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त अनुमोदित सूची अनुसार निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई:-

क्रम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	भर्ती की प्रक्रिया
1	मंदिर अधिकारी	**1**	राज्य सरकार से **Deputation**
2	कनिष्ठ अभियंता civil	1	सीधी भर्ती
3	मुख्य पुजारी	1	पदोन्नति
4	वरिष्ठ पुजारी	1	पदोन्नति
5	पुजारी	5	सीधी भर्ती
6	वरिष्ठ सहायक	1	पदोन्नति
7	JOA(IT)	2	सीधी भर्ती
8	लिपिक	1	पदोन्नति
9	MPWचतुर्थ श्रेणी	2	करुणा मूलक आधार
10	स्वीपर	2	सीधी भर्ती द्वारा
	कुल रिक्त पद	17	

न्यास द्वारा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों हेतु "पदोन्नति समिति" की बैठक शीघ्र आयोजित करने हेतु व सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों को भरने की अनुमति पर नियुक्ति प्रक्रिया का अनुमोदन लेने हेतु मामला शीघ्र मुख्य आयुक्त मंदिर को भेजने का निर्णय लिया गया । उपरोक्त विषय पर विस्तृत चर्चा की गई व अवगत करवाया गया कि कुल 17 रिक्त पदों मे से केवल 12 पद ही विभाग के अनुमोदन उपरांत भरे जाएंगे तथा शेष 5 पदों को DPC के माध्यम से न्यास द्वारा यथा योग्यता की पूर्ति व आवश्यकता अनुसार सक्षम प्राधिकारी अर्थात मुख्य आयुक्त मंदिर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर रिक्त पदों को भरा जाएगा।

न्यास द्वारा चर्चा की गई की न्यास में विशाल परिसर व भवनों के रखरखाव के दृष्टिगत इलेक्ट्रिशन के कम से कम कुल तीन पद होने चाहियें जबकि नए संशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों मे केवल एक ही पद का प्रावधान रखा गया है । सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य आयुक्त मंदिर एवं संयुक्त आयुक्त मंदिर को पूर्ण औचित्यता सहित दो नए पद इलेक्ट्रिशन के सृजित करने हेतु मामला भेजा जाए।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि न्यास के दो दिवंगत कर्मचारियों के दो विधिक वारिसों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है तथा उन्हें शीघ्र ही मेला उपरांत वर्तमान लागू नियमों अनुसार नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी जिसमे श्रीमती पिंकी देवी को शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का निर्णय भी लिया गया । यह भी चर्चा की गई तथा अनुमोदित किया गया कि समय समय पर मंदिर न्यास के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन , वार्षिक वेतन वृद्धि , महंगाई भत्ता , हाउस रेंट , मेडिकल अलाउअन्स , सेवानिवृती लाभ , कर्मचारी कल्याण कोष सहायता व अन्य प्रदान करने हेतु मामला माननीय मुख्य आयुक्त मंदिर एवं सचिव भाषा ,कल एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ भेजा जाए कि उपरोक्त लाभ प्रदान करने हेतु आयुक्त मंदिर एवं उपायुक्त सिरमौर को प्राधिकृत किया जाए जो कि मंदिर न्यास की वित्तिय क्षमता अनुसार देय होगी।

SDM Nahan-Cum-
Joint Commissioner
Trilokpur Temple Trust

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 4–आरती का सीधा प्रसारण बन्द करने सम्बन्धि	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्ष 2017 में न्या द्वारा मन्दिर त्रिलोकपुर की आरती के हरियाणा राज्य में व्यापक प्रचार हेतु लाईव प्रसारण के लिए निजी चैनल को बिना किसी शुल्क के भाषा एवं संस्कृति विभाग, शिमला के माध्यम से सशर्त स्वीकृति दी गई थी । क्योंकि गत वर्ष 2025 से माता बालासुन्दरी जी मन्दिर गर्भ गृह में सार्वजनिक प्रवेश पूरी तरह से मना है व केवल पूजा करने वाले भगत ही पूजा कार्य हेतु प्रवेश कर सकता है । वर्तमान में मन्दिर की वेबसाईट के माध्यम से प्रातः मन्दिर खुलने से मन्दिर बंद होने तक माता के मन्दिर गर्भ गृह के लाईव प्रसारण की सुविधा है। अतः प्रस्तावित है कि उपरोक्त निजी चैनल ''खबरें अभी तक'' में आरती का लाईव प्रसारण बन्द करवा दिया जाए। विस्तृत विचार –विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मां बालासुन्दरी जी की आरती का सीधा प्रसारण पूर्णतः बंद कर दिया जाए । इस बारे माननीय मुख्य आयुक्त मन्दिर को न्यास का निर्णय आदेशार्थ भेजा जाए ।	**मन्दिर अधिकारी, प्रभारी, मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर**
संख्या 5–रेणुका मार्ग स्थित बढोलिया मन्दिर हेतु शेड निर्माण बारे :	माननीय विधायक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर की निधि से नाहन–ददाहु मार्ग पर स्थित बढोलिया मन्दिर के समीप शेड निर्माण करवाया जाए चूंकि श्री रेणुका जी अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन स्थल है व बहुत यात्री बढोलिया मन्दिर दर्शनों के लिए आते हैं । उक्त मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा सहायक अभियन्ता, न्यास को शीघ्र अति शीघ्र प्राक्लन तैयार करने व आगामी अनुमोदन हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ।	**सहायक अभियन्ता मन्दिर न्यास**
संख्या 6–नाहन स्थित नौनी के बाग में स्थित मन्दिर में इटरलोकिंग टाईल बारे :	माननीय विधायक महोदय के सुझाव अनुसार नाहन स्थित उक्त मन्दिर में यात्रियों की सुविधा के लिए मन्दिर परिसर में इंटरलौकिंग टाईलें लगवाना प्रस्तावित किया गया जिस बारे भी त्रिलोकपुर मन्दिर न्यास से करवाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा सहायक अभियन्ता न्यास को शीघ्र अति शीघ्र प्राक्लन तैयार कर आगामी अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए ।	**सहायक अभियन्ता मन्दिर न्यास**

SDM Nahan-Cum
Joint Commissioner
Trilokpur Temple Trust

Scanned with OKEN Scanner

मद विवरण	मद पर चर्चा व निर्णय	अनुपालन अधिकारी
मद संख्या 7 - माँ बालासुंदरी जी की पूजा/आरती के समय का निर्धारण :	**आरती के समय का प्रस्ताव:** वंशानुगत पुजारी श्री राजेश गुप्ता से चर्चा उपरांत न्यास द्वारा माता बालासुन्दरी जी की पूजा/आरती हेतु निम्नानुसार समय सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया : **1- ग्रीष्मकाल** **प्रातः कालीन आरती का समय प्रातः 5:30 बजे** **सायंकाल आरती का समय रात्रि 8:30 बजे तथा** **2- शीतकाल** **प्रातः आरती का समय प्रातः 6:00 बजे** **सायं आरती का समय रात्रि 8:00 बजे** न्यास द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि माता जी की आरती के समय में पूर्ण अनुशासन एवं समयबद्धता होनी चाहिए। इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कड़ाई से पालन हेतु लिखित दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया। मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए, जनहित में आरती के समय यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित व प्रबंधित करने हेतु मंदिर न्यास की ओर से मंदिर अधिकारी को पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि आरती के समय सहित चंद्र पक्ष की तिथियों कि सार्वजनिक सूचना परिसर मे बोर्ड पर अंकित की जाए जिस हेतु वरिष्ठ पुजारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित रहेगी।	मंदिर अधिकारी , प्रभारी मंदिर न्यास त्रिलोकपुर
मद संख्या 8 - माता बालासुन्दरी जी गौशाला नाहन के कर्मचारियों को त्रिलोकपुर स्थित नई निर्माणाधीन	नाहन स्थित माता बालासुन्दरी जी गौशाला नाहन के कर्मचारियों को त्रिलोकपुर स्थित नई निर्माणाधीन गौशाला में समाहित करने बारे मामला पुनः न्यास के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया। उक्त मद पर संयुक्त आयुक्त मंदिर व अध्यक्ष द्वारा अवगत करवाया गया कि दो कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है कि उनके दीर्घ सेवा काल को ध्यान मे रखते हुए उन्हे नियमित किया जाए जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशानुसार उचित निर्णय / निर्देश की अनुपालना मे प्रस्तावित है कि उक्त दोनों कर्मचारियों को मंदिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा निर्मित की जा रही गौशाला मे समाहित किया जाए। न्यास द्वारा यह भी निर्णय लिया गया की याचिका दायर करने वाले दोनो कर्मचारियों को नवनिर्मित	मंदिर अधिकारी एवं तहसीलदार नाहन

SDM Nahan-Cum-
Joint Commissioner
Trilokpur Temple Trust

Scanned with OKEN Scanner

समाहित करने बारे चर्चा :	की जा रही गौशाला मे समाहित करने व भविष्य मे आवश्यकता अनुसार गौशाला के लिए वांछित पदों जैसे सूपर्वाइज़र,सफाई कर्मचारियों आदि हेतु भी नवीन पदों के प्रस्ताव को भी अनुमोदन हेतु मुख्य आयुक्त मंदिर एवं सचिव भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश को भेजा जाए ।	
मदसंख्या9 :त्रिलोकपुर मेलों में वाद्य्दल / बज्यंत्री आदि बुलाने बारे चर्चा :-	बैठक मे जिला भाषा अधिकारी सिरमौर की प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके कार्यालय मे सिरमौर स्थित अंधेरी आदि स्थानों से आवेदन पत्र आए हुए हैं जिन्हे भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा अनुमोदित दरों व आने जाने का भुगतान न्यास द्वारा किया जाता है । इस बारे संयुक्त आयुक्त मंदिर द्वारा अवगत करवाया गया कि सिरमौर स्थित विभिन्न वाद्य्दलों द्वारा त्रिलोकपुर मंदिर परिसर मे वाद्य्यंत्रों सहित बैठने हेतु बार बार आग्रह किया जा रहा है जबकि गत मेला चैत्र **2026** मे यात्रियों कि सुविधा के लिए माता के स्वरूप सहित सेल्फ़ी पॉइंट स्थापित कर दिया गया है व पिछली बार इन्हे शिव मंदिर परिसर मे बैठने हेतु कहा गया था । उपरोक्त मद पर विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि वाद्य्दलों को पहाड़ी कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए शिव मंदिर परिसर मे उनके स्वयं के आने जाने व ठहरने पर बैठने की स्वीकृति दी जाए ।	**मेला अधिकारी एवं तहसीलदार नाहन**
अन्य मदें 10 : (1)	न्यास द्वारा गत मेले की तरह इस बार भी प्रथम दिवस, अष्टमी व चौदस को शिव मंदिर परिसर मे दीपोत्सव व विशाल आरती करने का प्रस्ताव पारित किया गया ।	**प्रभारी मंदिर न्यास त्रिलोकपुर**
(2)	सहायक अभियंता द्वारा अवगत करवाया गया कि न्यास द्वारा वर्ष 2018 मे खरीदी गई 23 बीघा भूमि बिना प्रयोग के खाली पड़ी है चूंकि इसकी किस्म जंगल झाड़ी है। उक्त मद पर माननीय विधायक महोदय द्वरा सुझाव दिया गया कि जन हित मे उक्त भूमि को **FRA(Forest Rights Act 2006)** के तहत प्रयोग करने हेतु आवेदन किया जाए ।	**मेला अधिकारी एवं तहसीलदार नाहन**

SDM Nahan-Cum-
Joint Commissioner
Trilokpur Temple Trust

Scanned with OKEN Scanner

(3)	न्यास के सहायक अभियंता ई. विजय पाल की सेवाएँ श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के अधीन चल रहे कार्यों हेतु तथा आर्टिस्टिक कार्यों हेतु न्यास के सूपर्वाइज़र श्री चंदन सिंह की सेवाएँ रेणुका जी विकास बोर्ड को प्रदान करने पर न्यास द्वारा सहर्ष कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।	**प्रभारी मंदिर न्यास त्रिलोकपुर**

अध्यक्ष द्वारा समस्त विभागों को अनुरोध किया गया कि बैठक मे लिए गए निर्णयों पर अविलंब कार्यवाही की जाए व मेले के दौरान सभी सदस्यों के द्वारा सक्रिय तौर पर सहयोग अपेक्षित है । बैठक का समापन संयुक्त आयुक्त मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

(श्रीमती प्रियंका वर्मा) भा.प्र.से.
आयुक्त मंदिर-एवं –उपयुक्त ,
सिरमौर, जिला सिरमौर (हि.प्र.)

पृष्ठांकन संख्या: TTT/Navratri-Meeting/2026/-2671 **दिनांक:** 03/11/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन/कार्रवाई हेतु प्रेषित है:

1. मुख्य आयुक्त मंदिर-सह-सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
2. अतिरिक्त मुख्य आयुक्त मंदिर-सह-निदेशक (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. उप-मण्डलाधिकारी (ना०) नाहन-सह-संयुक्त आयुक्त, श्री महामाया बालासुंदरी जी मंदिर न्यास, त्रिलोकपुर।
4. मंदिर अधिकारी-सह-तहसीलदार नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)।
5. समस्त गैर-सरकारी एवं सरकारी न्यासी (सदस्य), श्री महामाया बालासुंदरी जी मंदिर न्यास, त्रिलोकपुर को अनुपालन हेतु।

आयुक्त मंदिर एवं
उपायुक्त , सिरमौर (हि.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner